अध्याय 1

संगठन , कार्य और कर्तव्य

[धारा 4 (1) (बी) (!)]

संगठन , कार्य और कर्तव्यों का विवरण :–

1. *विभाग के कार्य , कर्तव्य एवं संगठनात्मक संरचना :–*

विभाग के काय एवं कर्तव्य :–

विभाग का कार्य राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के क्षेत्र में शासन की नीति का क्रार्यान्वयन करना है। इस उददे्श्य की प्राप्ति के लिये विभाग द्वारा जो कार्य संपन्न किये जाते है, उनका विवरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकाशित कार्य आवंटन नियमों में दिया गया है। जो निम्नानुसार है –

कार्य का विवरण

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :–

- पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा।
- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।
- प्रारंभिक शिक्षा से संबद्ध नीति।
- अनौपचारिक शिक्षा।
- शालाओं का सेटअप तथा स्वरूप से संबद्ध नीति।
- नवीन शालाऐं खोलना तथा शालाओं का विस्तार और विकास।
- विलोपित।
- शाला भवन।
- शालाओं के लिये उपकरण जिसमें कागज तथा अभ्यास पुस्तिकाएं शामिल है।
- शालाओं के लिये पाठ्यपुस्तके, शाला पुस्तकालय, पुस्तक बैंक।
- अध्यापन की पद्धतियां तथा तकनीकें।
- शाला के अध्यापकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- अशासकीय शालाओं को अधिकार में लेना।
- अशासकीय शालाओं को सहायक अनुदान।
- शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद।
- विलोपित।
- शाला की परीक्षाओं का संचालन।

- राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान।
- विलोपित।
- विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा योजना।
- प्रौढ़ शिक्षा।
- राष्ट्रीय छात्र सेना।
- ऐसी सेवाओं से संबंद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सबंध हों (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाए, स्थानान्तरण , वेतन, छुट्टी निवृत्त वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

संगठनात्मक संरचना:-

मंत्रालय स्तर:-

!! विभाग के उक्त कार्यों एवं दायित्वों की पूर्ति के लिये मंत्रालय स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक अमले की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय स्तर पर विभाग स्कूल शिक्षा मंत्री के अधीन कार्य करता है, जिनकी सहायता राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा द्वारा की जाती है। सभी नीति तथा प्रशासनिक मामलों पर स्कूल शिक्षा मंत्री को सलाह देने के लिये प्रमुख सचिव का पद निर्मित है। प्रमुख सचिव नियमों के अनुसार कार्य हो सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। प्रमुख सचिव की सहायता के लिये मंत्रालय में सचिव/अपर सचिव एवं उप सचिव कार्यरत है। उपसचिव की सहायता के लिये 3 अवर सचिव तथा प्रत्येक अवर सचिव के अधीन पूरा कक्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी सहित 6 से 8 लिपिक वर्गीय कर्मचारी रहते हैं,कार्य करते हैं। संरचना चार्ट संलग्न है ।

विभागाध्यक्ष स्तर:-

!!! विभागाध्यक्ष स्तर पर कार्य का समस्त उत्तरदायित्व आयुक्त लोक शिक्षण का है। आयुक्त लोक शिक्षण वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारी होता है जिसकी सहायता के लिये संचालनालय में 2 संचालक के पद स्वीकृत है, संचालकों की सहायता के लिए संचालनालय में 02 अपर संचालक के पद, अपर संचालकों की सहायता के लिए 09 संयुक्त संचालक, 01 मुख्य लेखा अधिकारी, 19 उप संचालक, 1 वित्ताधिकारी एवं 18 सहायक संचालकों के पद दिए गये है। इसके अतिरिक्त कार्टोग्राफर का 1, मुख्य ग्रन्थपाल का 1, स्क्रिप्ट रायटर 1 तथा मनों वैज्ञानिक सहायक का 01 पद भी स्वीकृत है। संचालनालय में वित्त एवं वजट संबंधी कार्य मुख्य लेखाअधिकारी एवं वित्त अधिकारी की सहायता से संपन्न किया जाता है, जो कोष एवं लेखा संचालनालय से विभाग में डेपूटेशन पर पदस्थ अधिकारी होते है। संचालनालय में वर्तमान में विभिन्न कार्यों के लिये 34 कक्ष संचालित है। प्रत्येक कक्ष में 6 से 10 लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्य करते है। प्रत्येक कक्ष का प्रभार अधीक्षक या सहायक अधीक्षक के आधीन होता है जो अपने कक्ष की नस्तियों को सहायक संचालक के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजता है। संचालकों, अपर संचालकों, एवं अन्य अधिकारियों के बीच कार्य का विभाजन आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा किया जाता है।

जिला स्तर

!V जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत है, जो विभाग के प्रशासनिक, वित्तीय, अकादमिक एवं निरीक्षण संबंधी कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है। जिले में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर के समस्त शासकीय विद्यालयों का नियंत्रण जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में रहता है। जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक की अनुमति एवं मान्यता देने तथा उनके अकादमिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी ही वहन करते है, साथ ही अशासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का नियंत्रण भी जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। जिला शिक्षा अधिकारी को कार्य में सहायता देने के लिये एक सहायक संचालक, एक शारीरिक शिक्षा प्रभारी, एक योजना अधिकारी, एक लेखाअधिकारी, आडीटर्स एवं विभिन्न श्रेणी के लिपिक वर्गीय पद स्वीकृत है।

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप विद्यालयों में भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराने, शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा शिक्षकों की स्कूलों में नियमित उपस्थित सुनिश्चत करने संबंधी अधिकार जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम तथा नगर पंचायतों को दिये गये है। जिले में कार्यरत नगरीय निकाय तथाजिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौपा गया है।

विकास खण्ड स्तर:-

(V) विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा के प्रशासनिक, अकादमिक, निरीक्षण एवं वित्तीय कार्यो का उत्तरदायित्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को सौपा गया है। विकास खण्ड स्तर के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। आदिवासी विकास खण्डों में संचालित समस्त शालायें आदिवासी विकास विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। सामान्य विकास खण्डों में संचालित समस्त शालायें स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। तद्नुसार आदिवासी विकास खण्डों के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास विभाग के एवं सामान्य विकास खण्डों के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी होते है। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये लिपिकीय पद स्वीकृत है। विकास खण्ड स्तर पर जन पद पंचायतों को भी विद्यालयों में भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं शिक्षकों की उपस्थित सुनिश्चित करने संबंधी अधिकार प्रदान किये गये है। जनपद पंचायतों में यह व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाती है।